राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

न्यायालय में लम्बित प्रकरणों/विवाद पूर्ण प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण के लिए

राष्ट्रीय लोक अदालत

उच्च न्यायालय से तालुका न्यायालय तक पूरे राज्य के सभी न्यायालयों में लम्बित प्रकरणों/विवाद पूर्ण प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण के लिए राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रत्येक न्यायालय में लोक अदालत का आयोजन होता है यदि आपका प्रकरण न्यायालय में लम्बित है तो आप सभी इसका लाभ उठा सकते हैं।

लोक अदालत कहाँ लगेगी?

सभी सिविल आपराधिक पारिवारिक, एम.ए.सी.टी. और राजस्व न्यायालयों में

लोक अदालत किस प्रकार के मुकदमों का फैसला कर सकती है–

वैवाहिक/पारिवारिक विवाद, मोटर वाहन दुर्घटना क्लेम प्रकरण सभी दीवानी प्रकरण श्रम एवं औद्योगिक विवाद पेंशन मामले बैंक वसूली मामले सभी राजीनामा योग्य फौजदारी प्रकरण राजस्व प्रकरण, विवाद पूर्व प्रकरण।

लोक अदालत में क्या होता है?

दोनों पक्षों की आपसी सहमति व राजीनामें से सौहार्दपूर्ण वातावरण में विवाद निपटाया जाता है।

दिनांक : 13 जुलाई, 2019

लोक अदालत के लाभ?

- शीघ्र व सुलभ न्याय
- कोई अपी नहीं
- सिविल कोर्ट के आदेश की तरह पालना
- कोर्ट फीस की वापसी अन्तिम रूप से निपटारा

प्री–काउन्सलिंग

- जिसमें पक्षकारान को राजीनामें हेतु प्रेरित किया जाएगा एवं उनको यह बताया जायेगा कि किन शर्तों के तहत उनके प्रकरण का निस्तारण होगा।

लोक अदालत का समय

प्रातः 10.00 बजे से सायं 05.00 बजे तक

आपको क्या करना है?

- न्यायालय से सूचना पत्र मिलने पर न्यायालय में अवश्य जावे।
- यदि सूचना पत्र नहीं मिलता है तो भी आप अपना प्रकरण लोक अदालत में रखवा सकते हैं
- इसके लिए यथाशीघ्र न्यायालय में प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करें।

कहाँ सम्पर्क करें?

- उस न्यायालय में जहाँ आपका मुकदमा चल रहा है।

विस्तृत जानकारी के लिए सम्पर्क करें–

न्याय सब के लिए
ACCESS TO JUSTICE FOR ALL

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर पीठ जयपुर

(Phone : 0141-2227481, Fax: 2227602, Toll Free Helpline : 9928900900)

E mail: rj-slsa@nic.in, website: www. rlsa.gov.in

PREMIER# 9783855551